न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

पंचायत निगरानी संख्याः 29/2024

प्रार्थी

छगन सिंह पुत्र हीरसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

1. जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी, जाति–राजपुत, निवासी–पुराना जोगापुरा, तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
2. ग्राम पंचायत जोगापुरा, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, जोगापुरा, जिला– सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रार्थी निगरानीकार की ओर से
2. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) जब्बरसिंह की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 16 जनवरी, 2026

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी निगरानीकार की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 4411 मिसल संख्या 223/2001–2002 दायर दिनांक 07–3–2002 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्याः 1 (एक) जब्बरसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्याः 1 (एक) जब्बरसिंह की ओर से लिखित जबाव प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–02 (दो) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी (निगरानीकार) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थी के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि गांव पुराना जोगापुरा, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में खसरा संख्या 567/118 के उत्तर पश्चिम में गांव की आबादी भूमि आयी हुयी हैं, एवं उक्त खसरा के उत्तर पश्चिम छोर पर प्रार्थी के पट्टाशुदा भूखण्ड के पास ही उसी मोहल्ले में प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जाशुदा एक खाली भूखण्ड आया हुआ हैं, जिसका नाप उत्तर–दक्षिण 45 फीट व पूरब–पश्चिम 30 फीट कुल क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट है व चतुर्दशी उत्तर में पानी का नाला, दक्षिण में पूनम सिंह पुत्र प्रतापसिंह जी का भूखण्ड, पूरब में दरवाजा व रास्ता व पश्चिम मोहन पुत्र मोनाजी मीणा का मकान है। उपरोक्त नाप व चतुर्दशी के वर्णित भूखण्ड़ पर प्रार्थी का पुश्तैनी व कदीमी कब्जा हैं, तथा उपरोक्त भूखण्ड़ पर प्रार्थी अपने बाप–दादा के समय से काबिज है, उक्त भूखण्ड प्रार्थी के कब्जे व मालकी में कदीम से चला आ रहा हैं। प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के उपरोक्त आवासीय भूखण्ड पर उसके पिता के समय से बाड़ की हुई हैं, तथा वहां पर प्रार्थी की करीब एक ट्रोली जलाने की लकड़ियां, निर्माण हेतु करीब दो ट्रोली पत्थर पड़े हैं, एवं प्रार्थी के मवेशी भी इसी भूखण्ड़ पर बांधे जाते रहे हैं, जो आज भी बांधे जाते हैं। अप्रार्थी जब्बर सिंह, प्रार्थी को उसके पुश्तैनी कब्जे भोगवटे के उपरोक्त वर्णित भूखण्ड़ को औने–पौने दामों में बेचने हेतु राजनैतिक दबाव कही से बना रहा हैं, जिसे

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी जब्बरसिंह द्वारा प्रार्थी के कब्जे भोगवटे के उक्त भूखण्ड़ भू माफीयाओं के साथ मिलकर जबरन हडपने की धमकिया दे रहा है परन्तु प्रार्थी को उपरोक्त भूखण्ड़ की आवश्यता होने व उक्त भूखण्ड़ प्रार्थी के पिता की निशानी होने से प्रार्थी द्वारा उसके कब्जे भोगवटे के भूखण्ड़ को अप्रार्थी जब्बरसिंह अथवा किसी भी व्यक्ति को बेचने से स्पष्ट मना कर दिया। जिस पर अप्रार्थी जब्बरसिंह ने ग्राम पंचायत, जोगापुरा के तत्कालीन सरपंच से मेल मिलाप कर मौके की स्थिति के विपरित प्रार्थी के पुश्तैनी कब्जाशुदा उक्त भूखण्ड का विवादित पट्टा संख्या 4411, रेकर्ड एवं कब्जे को अनदेखा कर दिनांक 07-3-2022 को कुल 1350 वर्गफीट नाप का विधि विरुद्ध से जारी करवाया है। प्रार्थी के कब्जे भोगवटे व मालकी की भूमि पर ग्राम पंचायत, जोगापुरा के तत्कालीन द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह के पक्ष में ग्राम पंचायत के हितों के विरुद्ध पंचायत को आर्थिक क्षति पॅहुचाते हुए बिना किसी आधार के निःशुल्क रुप से गलत एवं विधि विरुद्ध पट्टा जारी किया गया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियमों की अवहेलना कर जारी किया गया है। पट्टा स्थल का न तो मौका देखा गया है एवं न ही आपत्ति नोटिस जारी किया गया है एवं बिना किसी औपचारिकता के पट्टा जारी किया गया है जो आरम्भतः शून्य एवं अवैध है। ग्राम पंचायत, जोगापुरा के तत्कालीन सरपंच द्वारा उक्त आलोच्य निगरानी अधिन पटटा संख्या 4411 दिनांक 07-3-2002, नियम 150 से 152 के तहत जारी किया जाना बताया हैं, वहीं ऐसा कोई प्रस्ताव, आदेशिका अथवा नीलामी वास्तव में हुई ही नहीं हैं, तथा उक्त आलोच्य पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट हैं कि विवादित पट्टा जो कि राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 150 से 152 के तहत जारी करना बताया हैं, उस हेतु न तो कोई निलामी की गयी हैं, न ही कोई सूचना जारी की गई है तथा न ही अप्रार्थी जब्बरसिंह से उक्त पट्टा के एवज में कोई राशि वसूल की गई है। जिस भूखण्ड़ का अप्रार्थी जब्बरसिंह के पक्ष में विवादग्रस्त पट्टा जारी किया जाना बताया जा रहा हैं, वह भूखण्ड प्रार्थी का पुश्तैनी कब्जाशुदा हैं, जिस पर उक्त अवैध पट्टा की आड़ लेकर अप्रार्थी जब्बरसिंह द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश करने पर प्रार्थी द्वारा मना करने पर अप्रार्थी जब्बरसिंह पट्टा जारी करवा देना बताने पर प्रार्थी को यह निगरानी आवेदन पेश करने का कारण पैदा हुआ है, जिससे प्रार्थी, इस पट्टे के विरुद्ध निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने का हितबद्ध व्यक्ति है, जिसका इस निगरानी आवेदन में हित निहित है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी- जोगापुरा के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 4411 मिसल संख्या 223/2001-2002 दायर दिनांक 07-3-2002 को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 (जब्बरसिंह) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान, अप्रार्थी जब्बरसिंह के जबाव में अंकित कथनों व तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि निगरानी आवेदन में वर्णित नाप की सम्पत्ति अवश्य आई हुई है, जो अप्रार्थी जब्बरसिंह के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे की पट्टेशुदा भूमि है। अप्रार्थी जब्बरसिंह, उपरोक्त आबादी भूखण्ड पर वर्ष 1990 से केलुपोश मकान बनाकर रहता था, तत्पश्चात वर्ष 2006 की अतिवृष्टि में अप्रार्थी जब्बरसिंह का केलुपोश मकान ढह जाने से गाँव में अन्यत्र निवास करने लगा और उक्त भूखण्ड पर अप्रार्थी जब्बरसिंह ने वर्ष 1999 में 6 ट्रोली पत्थर डलवाये थे जो आज भी मौके पर पडे है व जलाऊ लकडियों पडी है तथा अप्रार्थी जब्बरसिंह, उक्त भूखण्ड को गोबर डालने व गायों को बांधने के उपयोग में ले रहा है। अप्रार्थी जब्बरसिंह ने वर्ष 2001 में उक्त भूखण्ड का पट्टा अपने नाम जारी करवाने हेतु ग्राम पंचायत, जोगापुरा में आवेदन किया था जिस पर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी जब्बरसिंह को दिनांक 07-3-2002 को बुक संख्या 87, मिसल संख्या 223/2001-2002 दायर दिनांक 07-3-2002 पट्टा

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 4411 जारी किया था। तब से अप्रार्थी जब्बरसिंह का उक्त भूखण्ड पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज भी अप्रार्थी जब्बरसिंह के हक में है। प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रार्थी का कभी भी कब्जा आधिपत्य नहीं रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी जब्बरसिंह के मालकी स्वामित्व एवं कब्जे के उक्त भूखण्ड को हडपने के लिए मिथ्या कथन किये है। अप्रार्थी जब्बरसिंह, अनपढ व सीधासाधा पिछडे वर्ग का सदस्य है और आर्थिक रूप से भी कमजोर है। अप्रार्थी जब्बरसिंह का राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। अप्रार्थी जब्बरसिंह, पिछडा वर्ग का सदस्य होने व पट्टा प्राप्ति की पात्रता रखने से ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा नियमानुसार अप्रार्थी जब्बरसिंह के नाम पट्टा जारी किया गया है एवं इस जारी पट्टे वाले भूखण्ड से प्रार्थी का कोई लेना देना नहीं है। जिसकी जानकारी प्रार्थी व आमजन को वर्ष 2002 से ही है। प्रार्थी ने अप्रार्थी जब्बरसिंह को हैरान परेशान करने के लिए पट्टा जारी होने के करीब 22 वर्ष पश्चात् यह निगरानी आवेदन विलम्ब से पेश किया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह के हक में राजस्थान पंचायती राज नियम, 158 के अंतर्गत पट्टा निःशुल्क जारी किया है एवं अप्रार्थी जब्बरसिंह, अन्य पिछडा वर्ग का सदस्य होने से निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है। अतः प्रार्थी निगरानीकार का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का पट्टा संख्या 4411 (जिस पर मिसल संख्या 223/2001–2002 दायर दिनांक 07–3–2002 अंकित है) जारी किया गया है। उक्त पट्टा संख्या 4411 पर अंकित अनुसार उक्त पट्टा, ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 (दो) दिनांक 18–12–2001 के अनुसरण में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत निःशुल्क जारी किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 (1) के अर्न्तगत पंचायत, गांव की आबादी भूमियों में 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि, इस नियम में वर्णित श्रेणी के ऐसे व्यक्ति जिनके पास स्वयं का आवासीय गृह या गृह स्थल नही है और ऐसे बाढग्रस्त को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है को निःशुल्क या रियायती दर पर आवंटन कर सकती है और ऐसी भूमि का पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी किया जा सकेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध उक्त पट्टा संख्या 4411 की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी पाया कि उक्त पट्टा, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी किये जाने वाले पट्टा प्रारुप 23 ग में जारी नही किया गया है, बल्कि नीलामी व बाजार दर पर विक्रय किये जाने वाली भूमि के पट्टा प्रारुप 23 में जारी किया गया है। उक्त पट्टे की छाया प्रति के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त पट्टा संख्या 4411 पर मिसल संख्या 223/2001–2002 दायर दिनांक 07–3–2002 अंकित है, जबकि उक्त पट्टे पर ग्राम पंचायत के संकल्प संख्या 02 (दो) दिनांक 18–12–2001 के अनुसरण में पट्टा जारी किया जाना अंकित किया हुआ है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने की कार्यवाही के संबंध में मिसल संख्या 223/2001–2002 दिनांक 07–3–2022 को दायर की गई है एवं मिसल संख्या 223/2001–2002, दिनांक 07–3–2022 को दायर होने से पहले ही पट्टा जारी करने का संकल्प संख्या 02 दिनांक 18–12–2001 को पारित करना पट्टे पर अंकित किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा उक्त पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त विधिक प्रक्रिया व आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना ही एवं मिसल दायर होने से पहले

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

ही ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत को पट्टा जारी करने का संकल्प पारित किया गया है। जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158(1) के अर्न्तगत रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड़ के आवंटन का पट्टा विलेख जारी करने से पहले, ग्राम पंचायत को अप्रार्थी जब्बरसिंह के निःशुल्क भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता की जांच करके व राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में प्रदत्त आज्ञापक प्रावधानों व विधिक प्रक्रिया का पालन करके ही पट्टा जारी करना चाहिये था, लेकिन ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी करने की कार्यवाही आनन फानन में विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही की गई है। इस प्रकार, अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा पट्टा जारी करने की कार्यवाही सन्देहप्रद प्रतीत होती है। ऐसी स्थिति में, उक्त पट्टे को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, जोगापुरा द्वारा अप्रार्थी जब्बरसिंह पुत्र प्रतापसिंह जी राजपूत, निवासी– जोगापुरा के पक्ष में संकल्प संख्या 02 (दो) दिनांक 18–12–2001 के अनुसरण में जारी पट्टा संख्या 4411 (जिस पर मिसल संख्या 223/2001–2002 दायर दिनांक 07–3–2002 अंकित है) को निरस्त किया जाता है। इसी मुताबिक पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16 जनवरी, 2026 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही